यह निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बड़ेथी (धरासू) उत्तरकाशी द्वारा, उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बड़ेथी (धरासू),के माह 12/2012 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी , श्री राजा रंजन राव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री गौरव पंत वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 04/02/2019 से 07/02/2019 तक श्री टी0एस0 नेगी लेखा परीक्षा अधिकारी के पुर्ण पयरवेक्षर्ण मे सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा शिक्षण कार्य, खेलकुद आदि गतिविधियाँ विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन की जाती है । विद्यालय गंगा नदी से 100 मीटर की दूरी पर स्थित हें ,जहाँ पर मनेरीभाली धारुसू विधुत परियोजना संचलित की जा रही है। विद्यालय मुख्य शहर (नेशनल हाइवे) से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है एवं उत्तरकाशी मुख्यालय से 35 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु मे)

क्र° सं°	वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर स्थापना			आधि° (+)	बचत	लेखाशीर्षक
		प्रा° शे°	आवंटन	व्यय	प्रा°शे°	आवंटन	व्यय			
1	2015-16	-	4909724.00	4807051.00	-	28724.00	28576.00	-	102821.00	2202-02-109-03-00
	2015-16	-	2665400.00	2608632.00	-	34400.00	34390.00	-	56778.00	2202-02-109-09-00
2	2016-17	-	2515000.00	2514681.00	-	.00	.00	-	319.00	2202-02-109-03-00
	2016-17	-	5726410.00	5699585.00	-	38410.00	37357.00	-	27878.00	2202-02-109-09-00
3	2017-18	-	14872898.00	14858351.00	-	44898.00	43896.00	-	15549.00	2202-02-109-03-00
4	2018-19 (01/2019 तक)	-	16831317.00	13868052.00	-	43896.00	43896.00	-	-	2202-02-109-03-00

अधिक्य

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**			**प्राप्त धनराशि**		**(रु लाख मे)**		
	(सर्व शिक्षा अभियान)	**प्रा॰ शेष**	**वर्ष के दौरान आवंटन**	**विविध प्राप्ति(व्याज आदि)**	**कुल प्राप्ति**	**व्यय**	अधिक्य	**बचत**
2015-16		-	-	-	-	-	-	
2016-17		-	-	-	-	-	-	
2017-18		-	-	-	-	-	-	
2018-19(12/18तक)		-	-	-	-	-	-	

(ii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत ,राज्य सरकार / भारत सरकार है । इकाई की श्रेणी सी” है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

विद्यालयी शिक्षा(सचिव)
↓
विद्यालयी शिक्षा(निदेशक)
↓
अपर शिक्षा(निदेशक)
↓
मुख्य शिक्षा आधिकारी
↓
मुख्य शिक्षा आधिकारी)
↓
ज़िला शिक्षा आधिकारी(माध्यमिक)
↓
विकास खंड शिक्षा अधिकारी
↓
प्रधानाचार्य

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में ,कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बड़ेथी (धरासू) उत्तरकाशी की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बड़ेथी (धरासू) उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/13,03/15 ,03/17 ,01/19 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर :1- नई पेंशन योजना के अन्तर्गत 06 नव-नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारिओं के वेतन शीट /कोषगार शीट मे 05 कर्मचारिओं की एनपीएस नमूना जांच मे नियोक्ता का अंश (state share) की ₹ 663056°.00 की धनराशि जमा न होने के सम्बंध में।

उत्तराखंड राज्य में दिनांक – 01/10/2005 के पश्चात सेवा में नियुक्त अधिकारिओं/ कर्मचारियो हेतु वित्त विभाग की अधि सूचना -21/XXVII(7) अंश दाई पेंशन योजना /2005 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत अंश दाई पेंशन योजना लागू की गयी थी। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या -643/XXVII(7) अंश दाई पेंशन योजना /2010 दिनांक 11/08/2010 के प्रस्तर –(2) के प्रविधनानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिकों व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि कोषागार द्वारा लेखा शीर्षक -0071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवर्ति लाभों के लिए 00-117-नई पेंशन योजना ,01- कर्मचारी का अंश , 02- नियोक्ता का अंश (state share) के नामे जमा किए जाने की व्यवस्था की गयी थी ।

इस संबंध में अपर सचिव उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या -113/06/XXVII(10) 2017 दिनांक -06/04/17 मे स्पष्ट किया गया है कि अंश दाई पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको के 10% अंशदान की कटौती उनके वेतन मद के लेखा शीर्षक -8342011170301 मे जमा किया जाएगा। साथ ही समतुल्ये धनराशि सरकार के अंशदान के रूप मे 2071011170301 से कटौती कर लेखा शीर्षक 8342011170302 मे जमा की जाएगी। इस प्रकार लेखा शीर्षक -83420111703 मे जमा कुल धनराशि को आहरित कर निदेशक , कोषागार द्वारा सी0 आर0 ए0 को प्रेषित किया जाएगा। उक्त प्रकरण मे नई पेंशन योजना के अंतरगत निम्न विवरण के अनुसार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 05 नव-नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारिओं के वेतन शीट /कोषगार शीट की नमूना जांच में निम्न प्रकार NPS कटौतियाँ सुनिश्चित की गयी थी , जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रं.सं.	**कर्मचारी का नाम**	**भुगतान का वर्ष**	**कर्मचारी का अंश(10%)**	**सरकार का अंश(10%)**	**कुल योग(₹) मे**
01	श्री दीपक नेगी	2017-18 &2018-19	70871.00+54693.00=125564.00	-	125564.00
02	श्री पंकज कुमार तलवार	2017-18 &2018-19	84630.00+67319.00=151949.00	-	151949.00
03	श्री चन्द्रशेखर नौटियाल	2017-18 &2018-19	75348.00+51674.00=127022.00	-	127022.00
04	श्री सुरेश भण्डारी	2017-18 &2018-19	70482.00+54693.00=125175.00	-	125175.00
05	श्रीभवानराम घेसवाल	2017-18 &2018-19	75348.00+57998.00=133346.00	-	133346.00
			कुल योग	**-**	**663056.00**

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बड़ेथी (धरासू) उत्तरकाशी मे कार्यरत 06 नव-नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारिओं के एनपीएस खातो एवं उससे संबन्धित अभिलेखो की संप्रेक्षा जांच मे पाया गया है कि 05 कर्मचारिओं के नमूना जांच मे वेतन शीट /कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश(state share) सम्प्रेक्षा तिथि तक र 663056°.00 का जमा होना नहीं पाया गया था। संप्रेक्षा जांच मे यह भी पाया गया है कि संस्था मे तैनात कर्मचारियों/अधिकारिओं/शिक्षण गण मे सेकर्मचारियों/अधिकारिओं/शिक्षण गण की NPS पासबुक एवं लेजर तैयार किये गए हें परंतु उनके NPS पासबुक एवं लैजर मे 10% state share दर्ज नहीं किया जा रहा है।

कोषगार (उत्तरकाशी) के E-कोष द्वारा कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश(state share) 03/2017 से जमा नहीं किया जा रहा है। संप्रेक्षा जांच मे यह पाया गया कि कॉलेज द्वारा कोषाधिकारी एवं निदेशालय को भी लगभग 02 वर्ष से इस संबंध में पत्र द्वारा कोई सूचना नहीं दी। इस सम्बंध मे संप्रेक्षा द्वारा इकाई से पूछे जाने पर कॉलेज द्वारा अवगत कराया कि उक्त प्रकरण मे लेखापरीक्षा के निर्देशों का पालन करते हुऐ कार्यवाही कि जायेगी। संप्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा उक्त प्रकरण मे संप्रेक्षा तिथि (01/19) तक कोई कार्यवाही नहीं कि थी। शासनादेश मे-06/04/17 मे स्पष्ट है कि प्रावधनानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि का लेखांकन सुसंगत लेखा शीर्ष के अंतर्गत न किए जाने के संबंध मे महालेखाकार उत्तराखंड द्वारा वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2015-16 मे आपत्ती दर्ज कि गयी थी । प्रकरण अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो ब

प्रस्तर:2- रोकड़ बही की विस्तरत जांच हेतु चयनित माहों का DDO reconciliation स्टेटमेंट(बीएम-05) से मिलान के दौरान ₹ 7.16 के लाख के vouchers की प्रविष्टी शासनादेश के विरुद्ध रोकड़ बही मे न करना एवं जांच/मिलान हेतु सम्प्रेक्षा के समक्ष प्रस्तुत न करना एवं रोकड़ बही व 11सी पंजिका के रखरखाव मे वित्ततीय नियमों का पालन न करना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-05 , भाग-02 के परिशिष्ट 27 ए के अनुसार फॉर्म न0-02 मे वही लिखी जाएगी जिसमें प्राप्ति पक्ष में समस्त नगद प्राप्तियों को प्राप्ति रशीद से मिलान करके आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। रोकड़ बही का मिलान के समय सम्प्रेक्षा द्वारा कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बड़ेथी (धरासू) उत्तरकाशी की सम्प्रेक्षा जांच मे यह भी पाया गया कि निम्न लिखित वाउचर का इंदराज रोकड़ वही मे संस्था द्वारा अंकित नहीं किया गया था एवं न ही उक्त vouchers को सम्प्रेक्षा के अवलोंकनार्थ/जांच हेतु प्रस्तुत किया गया था। सम्प्रेक्षा द्वारा यह भी जांच मे पाया गया था कि इकाई द्वारा 11-c पंजिका का रखरखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा था। उनके द्वारा उक्त पंजिका मे भुगतान धनराशि के सापेक्ष बिल no की प्रविष्टी /अंकन नहीं किया जा रहा था। 11सी पंजिका की entries को DDO द्वारा प्रमाणित होना नहीं पाया गया था। रोकड़ वही मे पृष्ठ वार मासिक लेखाबन्दी व धनराशि कॉलम का योग नहीं पाया गया सम्प्रेक्षा द्वारा टेस्ट month का बीएम05 से मिलन के दौरान कई vouchers की एंट्री स्टॉक पंजिका मे नहीं पायी गयी थी ।11-c पंजिका मे भुगतान चेक/cash से होने का कोई व्योरा नहीं पाया गया था जिनका विवरण निमन्वत हें ।

क्रमसंख्या	कोषागार/बीएम-05 का माह	वाउचर no	धनराशि(₹)
01	05/13	42	39900.00
02	05/13	148	149868.00
03	03/17	20	4000.00
04	03/17	21	5000.00
05	03/17	33	134466.00
06	03/17	06	2842.00
07	03/17	07	1605.00
08	03/17	11	266692.00
09	03/17	08	16410.00
10	03/15	75	33041.00
11	03/15	99	57000.00
12	03/15	365	5104.00
योग			**₹ 715928.00**

₹ 7.16 लाख के vouchers की प्रविष्टी शासनादेश के विरुद्ध रोकड़ बही मे न करना एवं जांच/मिलान हेतु सम्प्रेक्षा के समक्ष प्रस्तुत न करना। इस संबंध मे सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग से इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे अवगत कराया है कि समस्त vouchers की रोकड़ बही मे प्रविष्टी एवं उनका अवलोकन आगामी सम्प्रेक्षा मे सम्प्रेक्षा दल को

करा दिया जाएगा। सम्प्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं हें क्योकि इकाई की यह जिम्मेदारी थी कि वह रोकड़ बही के रखरखाव मे वित्तीय नियमों का पालन उक्त नियम के अनुसार करे। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:3- इकाई मे कार्यरत कर्मचारी श्री भगवान सिंह विष्ट Employ code no -410014191 का मूल वेतन दिनांक-01/01/16 को ₹ 71300 .00 के स्थान पर ₹ 73200.00 दिये जाने के कारण कर्मचारी से ₹ 74666/- के अधिक भुगतान के में।

सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के उपरांत शासन द्वारा लागू new वेतनमान के आधार पर कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बड़ेथी (धरासू) की माह -12/12 से 01/2019 तक की संप्रेक्षा अवधि में इकाई में कार्यरत कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की संप्रेक्षा जांच मे पाया गया है कि श्री भगवान सिंह विष्ट Employ code no -410014191 का मूल वेतन दिनांक -01/07/15 को वेतन वृद्धि प्राप्त करने के उपरांत ₹ 27670.00 सेवा पुस्तिका के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया था परंतु सेवा पुस्तिका के साथ संलग्न Arrear sheet में दिनांक -01/01/2016 को सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर ₹ 27670.00 *2.57=71112 को मूल वेतन गणना में आता है, जिसका matrix table के level-09 मे ₹ 71300.00 का वेतन फिक्स होना अपेकक्षित था, परंतु इकाई के आधार पर ही कर्मचारी के सातवें वेतन arrear की गणना दिनांक 01/01/16 से 01/12/16 तक की गयी है। इकाई स्तर से मूल वेतन ₹ 1900.00 के अंतर की अधिक धनराशि का समायोजन अपेकक्षित है। श्री भगवान सिंह विष्ट का वेतन निम्न सारणी के अनुसार दिनांक 01/01/16 से संशोधन करना अपेक्षित है।

माह	मूलवेतन/संप्रेक्षा जांच के अनुसार	महगाइ वेतन/ संप्रेक्षा जांच के अनुसार	कुलवेतन	मूल वेतन/इकाई के अनुसार	महगाइ वेतन/ इकाई के अनुसार	कुलवेतन	इकाईद्वारा आगरित अधिक भुगतान की धनराशि (₹)
01/01/16	71300.00	-	71300.00	73200.00	-	73200.00	1900.00
01/02/16 to 30/06/16	-	-	-	-	-	-	1900*05=9500.00
01/07/16 to31/12/16	73400.00	1468.00	74868.00	75400.00	1508.00	76908.00	2040*06=12240.00
01/01/17 to 30/06/17	73400.00	2936.00	76336.00	75400.00	3016.00	78416.00	2080*06=12480.00
01/07/17to 31/12/17	75600.00	3780.00	79380.00	77700.00	3885.00	81585.00	2205*06=13230.00
01/01/18to30/06/18	75600.00	5292	80892.00	77700.00	5439.00	83139.00	2247*06=13482.00
01/07/18to31/12/18	77900.00	7011.00	84911.00	80000.00	7200.00	87200.00	2289*06=13734.00
						कुल योग	**₹ 76566.00**

इस प्रकार इकाई द्वारा गठित वेतन committee द्वारा कर्मचारी को ₹ 76566.00 कि धनराशि का संप्रेक्षा तिथि (12/18) तक अनुचित लाभ दिया गया था। इकाई द्वारा कर्मचारी श्री भगवान सिंह विष्ट Employ code no -410014191का मूलवेतन दिनांक -01/01/16 को ₹ 1900.00 अधिक वेतन fix किए जाने के संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा पूछने पर इकाई ने अपने उत्तर मे संप्रेक्षा को अवगत कराया गया कि प्रकरण में अभिदाता को सेवा पुस्तिका में 01.01.2016 को वेतन निर्धारण की जाँच की जायेगी तदानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1– निधियों का व्यावर्तन (Diversion) (₹ 22,885.00)

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज,बड़ेथी (धरासूॅ),उत्तरकाशी की बाल निधि(क्रीड़ा निधि,पुस्तकालय निधि,जलपान निधि, विद्युत निधि,श्रव्य–दृश्य निधि, रेडक्रास निधि, विज्ञान निधि, स्काउट निधि) से सम्बन्धित पंजिकाओं की जॉच में निम्नलिखित कमियां पाई गयी–

(1) किसी एक निधि/मद की प्राप्तियों से अन्य निधियों/मदों से सम्बन्धित कार्य हेतु निधियों का व्यावर्तन (**Diversion**)किया गया है, विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	निधि/मद जिसमें धनराशि प्राप्त हुई	अन्य निधि/मद जिस पर व्यय किया	धनराशि
01	पुस्तकालय निधि	विद्युत	3000.00
02	पुस्तकालय निधि	क्रीड़ा	1000.00
03	श्रव्य–दृश्य निधि	विद्युत	5000.00
04	विज्ञान निधि	विद्युत	2000.00
05	स्काउट निधि	विद्युत	4000.00
06	रेडक्रास निधि	विद्युत	5000.00
07	रेडक्रास निधि	पुस्तक क्रय	2885.00
	योग–		**22885.00**

(2) निधि पंजिकाओं में नवम्बर 2018 के बाद तिथि की प्राप्तियों व व्ययों की प्रविष्टियां नहीं की गयी हैं।

इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि पूर्व में कार्यरत प्रधानाचार्यों द्वारा तिथियों को क्पअमतेपवद किया गया जो कि समय के अनुरूप रहा होगा। निधियों में प्राप्तियों की नवम्बर 2018 के बाद प्रविष्टियां न किये जाने के सम्बन्ध में बताया गया कि प्रविष्टियां शीघ्र पूरित कर दी जायेंगी व भविष्य में अभिलेख अद्यतन रखे जायेंगे।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा ।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा ।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बड़ेथी(धरासू) उत्तरकाशी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गय**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	दिनांक
1.	श्री अन्नराज सिंह भण्डारी	प्रधानाचार्य (कार्यवाहक)	लेखापरीक्षा अवधि तक(01/19)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बड़ेथी (धरासू) उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.